आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
07/07/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **म्यूटेशन पुनरीक्षण 35/2014** **श्रीमती सरस्वती देवी बनाम् जगदीश राम व अन्य तथा राज्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण उपायुक्त, राँची द्वारा विविध अपील–32R15/2003-04 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् विषय मौजा–सामलौंग, खाता नम्बर–45, प्लॉट नम्बर–131, रकबा–28½ डिसमिल भूमि के जमाबंदी से संबंधित है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा विविध वाद संख्या–06/2002–03 में आदेश पारित करते हुये उक्त भूमि की जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया गया है। प्रश्नगत् मामले में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आवेदकों को दिनांक–28.12.2020 को निदेशित किया गया था, किन्तु उक्त तिथि के बाद आवेदक न्यायालय से लगातार अनुपस्थित है। आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–07.03.2022, 27.06.2022 तथा 04.07.2022 को अंतिम मौका दिया गया था, किन्तु वे न्यायालय से अनुपस्थित रहें। अतः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इन्द्रनाथ साहू द्वारा अमृत साईं को वर्ष–1962 में निबंधित केवाला से भूमि की बिक्री की गयी थी, जिनके द्वारा 07 कट्ठा 08 छटांक 35 वर्गफीट भूमि अपीलार्थियों को एवं 04 कट्ठा 04 छटांक भूमि जगदीश महतो को एवं 09 डिसमिल भूमि सरोज टोप्पो को बिक्री की गयी थी, किन्तु पंजी–2 में आवश्यक सुधार नहीं किये गये, जिस कारण आवेदकों के जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत् भूमि को लेकर टाईटल सूट	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	संख्या–214/2004 में आदेश पारित हुआ था, जिसके विरूद्ध टाईटल अपील–12/2014 वर्तमान में व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत् विषय भूमि के नामान्तरण से संबंधित है तथा कौन से बिक्री केवाला को प्राथमिकता दी जायेगी, इस विषय पर निर्णय लिया जाना है, जो स्पष्टतः राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। आवेदकों के द्वारा इस न्यायालय में म्यूटेशन पुनरीक्षण के रूप में Tenace Maintance of Record के तहत् यह पुनरीक्षण दायर किया गया है, किन्तु नामान्तरण के संबंध में पुनरीक्षण आवेदन इस न्यायालय में विचारणीय नहीं है। यह भी स्पष्ट होता है कि यह विषय मुख्यतः भूमि के स्वत्व एवं अधिकार के निर्धारण से संबंध है, जिस पर राजस्व न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना समीचीन नहीं है। प्रश्नगत् भूमि के संबंध में सक्षम व्यवहार न्यायालय में टाईटल अपील लम्बित भी है। अतः ऐसे परिस्थिति में पुनः इस विषय पर समीक्षा करने अथवा कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 11:58:36 +05:30
Location: 10.93.72.187